30/3/26

पत्रा० पेश हुआ। वकु० उप०। TI आंशिक रूप से। (तोलमला) स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प० पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 95 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 280
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30/03/2026

1. मंजू पुत्री सुगड सिंह पत्नि निरंजन सिंह जाति जाट निवासी सावंतपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सुगड सिंह पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी सावंतपुरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री लखन भातरा एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री जगवीर सिंह एड. (अप्रार्थी सं0 01 की ओर से)

:: निर्णय::

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 100 रकवा 0.70, 111 रकवा 0.81, 112 रकवा 0.50, 119 रकवा 0.70, 123 रकवा 0.67, 18 रकवा 1.39, 19 रकवा 0.10, 21 रकवा 0.95, 38 रकवा 0.04, 40 रकवा 0.05, 46 रकवा 0.63, 52 रकवा 0.42, 57 रकवा 1.21, 58 रकवा 0.44, 81 रकवा 0.68, 97 रकवा 0.52, 98 रकवा 0.91, 99 रकवा 0.53 किता 18 रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई में स्थित है। जो कि प्रार्थी की पैतृक आराजी है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में अविभाजित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सजरा वादपत्र में संलग्न है। उक्त सजरा अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 वादी पत्र की मद संख्या 02 की वर्णित आराजी प्रार्थीया के बाबा महाराज सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसका नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 02.07.2020 उक्त पत्रावली के साथ संलग्न है। रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

आराजी विरासतन प्राप्त हुई है। जिसका प्रार्थीया को हक व हिस्सा निहित है। जिसके प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीया को सक्त हक तलफी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया को मुताबिक हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

4. यह है अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी का वामुकाम सावंतपुरा तहसील नदबई पर दिनांक 13.10.2025 को ऐलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर देगा व प्रार्थीया को प्रार्थीया की आराजी में हक व हिस्से में महरूम कर देंगें व कब्जा काश्त में दखल करेंगें, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यदि अप्रार्थी संख्या 01 अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमद न करें, रहनवय मुन्तकिल न करें व प्रार्थी को प्रार्थी के हक हकूकों से बेदखल न करें व कब्जा काश्त न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई जबाल आवे।

5. यह है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के हक में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र मद संख्या 02 की आराजी में मदाखलत मजाहमद न करें, रहनवय मुन्तकिल न करें व प्रार्थी को प्रार्थी के हक व हिस्से से महरूम न करें व कब्जा काश्त में दखल न करें । ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई जबाल आवे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणसंख्या 1 की ओर से श्री जगवीर सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि इस चरण में वर्णित आराजी किता 18 कुल रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई में स्वीकार है परन्तु प्रार्थीया का यह कथन अस्वीकार है कि उक्त आराजी प्रार्थीया की पैतृक आराजी है व उस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में अविभाजित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार कभी नहीं रहा है।
2. यह है कि चरण संख्या 03 प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा सजरा गलत व अधुरा पेश किया गया है जो स्वीकार नहीं है। महाराज के चार पुत्र सुगड सिंह, चन्द्रभान, राजवीर, धर्मवीर के अलावा पांच पुत्रियां रामरती, ओमवती, जलजती, सोनदेई, इन्द्रवती

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

है। जिनको प्रार्थीया ने सजरा में जान–बूझकर छिपाया है। प्रार्थीया का यह कहना असत्य है कि उक्त सजरा अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 की वर्णित आराजी प्रार्थीया के बाबा महाराज सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है, बल्कि सही बात यह है कि उक्त आराजी कभी सहदायनी सम्पत्ति रही ही नहीं है तो प्रार्थीया का हक व हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं है प्रार्थीया कभी मौके पर काबिज नहीं रही है उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 02 को अपने भाई चन्द्रभान, राजवीर, धर्मवीर के साथ उन्हें उनकी बहिन ओमवती, जलजती, सोनदेई , इन्द्रवती का हिस्सा जरिये रिलीज डीड न्यारानूर प्राप्त हुआ है जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है।

3. यह है कि चरण संख्या 04 प्रार्थना पत्र गलत, असत्य व बनावटी कथन की गई है एवं स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का यह कथन असत्य है कि विवादित आराजी पैतृक है व उसमें प्रार्थीया को जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त आराजी न तो प्रार्थीया की पैतृक आराजी है और न ही प्रार्थीया के कोई हक व हिस्सा निहित रहा है यदि बाकई प्रार्थीया का हक व हिस्सा रहा होता तो प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात खातेदारी रहा होता। उक्त आराजी में प्रार्थीया किसी भी प्रकार अपने आप खातेदार घोषित करा पाने की अधिकारी नहीं है।

4. यह है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए अपना जन्म से अधिकार कहकर स्वयं को खातेदार घोषित कराने की सहायता के लिए पेश किया है। जबकि उक्त सम्पत्ति में सहदाय की सम्पत्ति साबित करने के लिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त आराजी उसके परबाबा की छोडी हुई आराजी है तथा उसके परबाबा के जीवन काल में ही उसका जन्म हो चुका था । प्रार्थीया को पैतृक सम्पत्ति साबित करने के लिए यह बातें साबित करना कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थीया निरस्त योग्य है।

5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की प्रार्थीया एक मात्र पुत्री है। जिसकी शादी के बाद से ही प्रार्थीया अपनी ससुराल ग्राम खेडा मैदा तहसील कठूमर जिला अलवर में अपने परिवार सहित अपने पति के साथ निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 01 काफी वृद्ध हो गया है तथा उसकी पत्नि भी सन् 2021 में स्वर्गवास हो गई है। अप्रार्थी संख्या 01 अकेला रह गया है। प्रार्थीया ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 की कभी कोई सेवा सुश्रुषा नहीं की है जिसकी प्रार्थीया ने कभी भी एक हिन्दू पुत्री होने का कर्तव्य अप्रार्थी संख्या 01 की सेवा करने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। और न ही उसके खाने–पीने वस्त्र आदि की कोई भी व्यवस्थाा का प्रयास किया गया है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद जिस प्रकार वर्णित की गई है, वह स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया को अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 13.10.2025 या अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन चलने योग्य नहीं है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुनलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिज खारिजी के है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति जमांवंदी नकल जमावंदी संवत 2074–77 खाता सं. 33 वाके ग्राम सावंतपुरा, नकल फोटोप्रति वादिनी आधार कार्ड, नकल नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 02.07.2020 वाके ग्राम सावंतपुरा पेश किया गया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के कथन रहे कि विवादित आराजी खाता संख्या 33 के खसरा नंवर 100 रकवा 0.70, 111 रकवा 0.81, 112 रकवा 0.50, 119 रकवा 0.70, 123 रकवा 0.67, 18 रकवा 1.39, 19 रकवा 0.10, 21 रकवा 0.95, 38 रकवा 0.04, 40 रकवा 0.05, 46 रकवा 0.63, 52 रकवा 0.42, 57 रकवा 1.21, 58 रकवा 0.44, 81 रकवा 0.68, 97 रकवा 0.52, 98 रकवा 0.91, 99 रकवा 0.53 किता 18 रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई प्रार्थी के पिता के नाम खातेदार दर्ज है। जो कि प्रार्थी की पैतृक आराजी है। जिसका नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 02.07.20 सुगड सिंह के नाम दर्ज हुआ है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में अविभाजित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पैतृक सम्पत्ति में वादिनी का हिस्सा जन्म से निहित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुकदमा उनवान विजीता शर्मा बनाम अन्य द्वारा सन् 2004 से पहले के वारिसान पुत्र/पुत्री पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी है। जिसमें शादी शुदा पुत्रीयों का भी शामिल किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के वाद मेहर चंद बनाम ओमप्रकाश की आरआरटी पेज संख्या 405 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। वादिनी वकील द्वारा वादपत्र के समर्थन में पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्तागण की ओर से कथन रहे कि वाद मे वर्णित आराजी किता 18 कुल रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई स्थित है। उक्त विवादित आराजी का मूल आधार पैतृक आराजी साबित होने से है जबकि उक्त आराजी पैतृक आराजी नहीं है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार कभी नहीं रहा है। प्रार्थीया द्वारा सजरा गलत व अधुरा पेश किया गया है महाराज सिंह के चार पुत्र सुगड सिंह, चन्द्रभान, राजवीर, धर्मवीर के अलावा पांच पुत्रियां रामरती, ओमवती, जलजती, सोनदेई, इन्द्रवती है। उक्त आराजी में अप्रार्थी को अपने भाई चन्द्रभान, राजवीर, धर्मवीर के साथ उन्हें उनकी बहिन ओमवती, जलजती, सोनदेई , इन्द्रवती का हिस्सा जरिये रिलीज डीड दिनांक 10.02.2020 से न्यारानूर प्राप्त हुआ है जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसे पैतृक सम्पति नहीं माना जावे एवं जितना हिस्सा उनका बनता था उतना ही उनकी विवाह आदि में खर्च हो चुके है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिज खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया

1. **पृथमदृष्टया केस** :– प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 100 रकवा 0.70, 111 रकवा 0.81, 112 रकवा 0.50, 119 रकवा 0.70, 123 रकवा 0.67, 18 रकवा 1.39, 19 रकवा 0.10, 21 रकवा 0.95, 38 रकवा 0.04, 40 रकवा 0.05, 46 रकवा 0.63, 52 रकवा 0.42, 57 रकवा 1.21, 58 रकवा 0.44, 81 रकवा 0.68, 97 रकवा 0.52, 98 रकवा 0.91, 99 रकवा 0.53 किता 18 रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी की रिलीज डीड दिनांक 10.07.2020 को इन्द्रवती व ओमवती व सोनदेई पुत्रीयान महाराज सिंह व कुसुम दोहित्री महाराज सिंह व शशि दोहित्री महाराज सिंह व शीला दोहित्री महाराज सिंह व सीमा दोहित्री महाराज सिंह व बृजेश दोहित्रा महाराज सिंह, मंगतू सिंह दोहित्रा महाराज सिंह व वीरेन्द्र दोहित्रा महाराज सिंह जाति जाट निवासी सावंतपुरा द्वारा चन्द्रभान व धर्मवीर व राजवीर व सुगड सिंह पि. महाराज सिंह जाति जाट निवासी सावंतपुरा के हक में की गई थी। वादिनी द्वारा दावा दिनांक 24.10.2025 को पेश किया गया है जबकि रिलीज डीड सन् 2020 में हो चुकी है। प्रार्थीया के बाबा महाराज सिंह की मृत्यु उपरांत अप्रार्थी सुगड सिंह को 1/9 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 02.07.2020 से प्राप्त हुआ जो कि अप्रार्थी सुगड सिंह की पैतृक आराजी का हिस्सा था, उक्त आधार पर सुगड सिंह के हिस्से में दर्ज विवादित आराजी का 1/9 हिस्स्सा विरासतन प्राप्त हुआ है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व 2005 के अनुसार प्रार्थीया का उक्त विवादित आराजी के 1/18 हिस्से पर जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा वाद–पत्र के निस्तारण पर गुणावगुण के आधार पर तय की जावेगी। अतः उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण को अपने 1/18 हिस्से तक विवादित आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की अधिकारिणी है एवं सुगड सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/18 हिस्से के अतिरिक्त जो आराजी दर्ज रिकॉर्ड है, वह सुगड सिंह की स्व अर्जित आराजी है। अतः 1/18 हिस्से के अतिरिक्त सुगड सिंह के नाम दर्ज आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी को रहन मुक्त करने एवं 1/18 हिस्से को छोडकर स्वंय की आराजी रहनवय करने के लिए स्वतंत्र रहेंगें। चूंकि वाद खातेदारी घोषणाओं को लेकर है, प्रार्थी के खातेदारी के हकों का हक वाद में तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्षकारान के दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा तब तक वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु वाद के निस्तारण तक 1/18 हिस्से को छोडकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीया के हक में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।
3. **अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि प्रकरण खातेदारी घोषणाओं को लेकर है तथा वाद में पूर्व में भी बेचान हो चुका है अगर स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा तथा मौके की यथास्थिति में परिवर्तन होगा तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के हक में बखूबी साबित है। क्यांकि पृथमदृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है, अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 100 रकवा 0.70, 111 रकवा 0.81, 112 रकवा 0.50, 119 रकवा 0.70, 123 रकवा 0.67, 18 रकवा 1.39, 19 रकवा 0.10, 21 रकवा 0.95, 38 रकवा 0.04, 40 रकवा 0.05, 46 रकवा 0.63, 52 रकवा 0.42, 57 रकवा 1.21, 58 रकवा 0.44, 81 रकवा 0.68, 97 रकवा 0.52, 98 रकवा 0.91, 99 रकवा 0.53 किता 18 रकवा 11.25 हैक्टे. वाके ग्राम सावंतपुरा तहसील नदबई पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को दावा के निस्तारण तक प्रार्थीया के 1/18 हिस्से तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है एवं प्रार्थीया को विवादित आराजी में जन्म से निहित हिस्से 1/18 के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी को रहनवयमुन्तकिल करने एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी पर स्वयं के नाम दर्ज आराजी को रहनमुक्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/03/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

सत्यमेव जयते